# हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979

## धाराओं का क्रम

**धाराएंः**

भाग–1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

भाग–2

### परिषद् की स्थापना, गठन और निगमन तथा व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

3. परिषद् की स्थापना, गठन और निगमन।
4. सदस्यों का निर्वाचन।
5. निर्वाचन के व्यतिक्रम में सदस्यों का नामनिर्देशन।
6. पदावधि।
7. रिक्तियां।
8. त्यागपत्र।
9. सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्ताएं।
10. निरर्हताएं।
11. रिक्तियों आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
12. परिषद् की बैठकों का समय और स्थान।
13. परिषद् की बैठक में प्रक्रिया।
14. रजिस्ट्रार।
15. रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य।
16. रजिस्ट्रीकरण।
17. रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध परिषद् को अपील और परिषद् की अन्य शक्तियां।
18. अर्हित व्यवसायी का प्रमाण–पत्र।
19. मृत्यु का नोटिस।
20. संस्थाओं का निरीक्षण।
21. अर्हता परीक्षा।
22. अर्हता परीक्षा लेने को प्राधिकृत संस्था का हटाया जाना।
23. मृत्यु–समीक्षा पर तामील से छूट।
24. सदस्यों को संदेय भत्ते।
25 परिषद् द्वारा प्राप्त फीस।
26. व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन।
27. सरकार का नियन्त्रण।
28. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय करने का प्रतिषेध।
29. उपाधि आदि का मिथ्याधारण, अपराध होना।
30. धारा 28 के उपबन्धों के अतिक्रमण के लिए शास्ति।
31. अप्राधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उपाधि, डिप्लोमा आदि प्रदत्त, प्रदान या जारी करना।
32. इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण के लिए सक्षम न्यायालय और अपराधों का संज्ञान।
33. अनुसूची 1 को संशोधित करने की शक्ति।

भाग—3

## निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

34. परिभाषाएं।
35. निर्वाचन अर्जी।
36. अर्जियों का पेश किया जाना।
37 अर्जी की विषय—वस्तु।
38. निर्वाचन अर्जी प्राप्त होने पर प्रक्रिया।
39. अर्जियां वापस लेने और हस्तान्तरित करने की शक्ति।
40. विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया।
41. विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति।
42. विहित प्राधिकारी की शक्तियां।
43. दस्तावेजी साक्ष्य।
44. मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न करना।
45. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाण—पत्र।
46. साक्षियों के खर्चे।
47. विहित प्राधिकारी का विनिश्चय।
48. निर्वाचन को अपास्त करने के आधार।
49. निर्वाचन अर्जी का उपशमन।
50. लागत और उसका प्रतिभूति—निक्षेपों में से संदाय और ऐसे निक्षेपों को वापस करना।
51. लागत सम्बन्धी आदेशों का निष्पादन।
52. भ्रष्ट आचरण जिससे निरर्हता हो जाती है।

भाग—4

## प्रकीण

53. नियम बनाने की शक्ति।
54. विनियम।
55. नियमों और विनियमों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना।
56. निरसन और व्यावृत्तियां।
57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

अनुसूची 1 और 2

# हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979

(1980 का 3)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 09 जून, 1998 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 16 जून, 1998 को पृष्ठ संख्या 2197—2222 पर प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान पद्धति के व्यवसायियों की अर्हताओं के विनियमन और रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह एतद्द्वारा अधिनियमित किया जाता हैः—

भाग—1

## प्रारम्भिक

1. **सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. **परिभाषाएं**.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन स्थापित और गठित हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान पद्धति परिषद् अभिप्रेत है;

(3) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

———————————

1. **पाद टिप्पणीः**— चूँकि अधिनियम राजभाषा में 09 जून, 1998 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 16 जून, 1998 को पृष्ठ संख्या 2197 से 2222 पर प्रकाशित किया गया।

(4) "होम्योपैथिक" पद्धति से डा० हानेमान द्वारा स्थापित होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान पद्धति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत डा० शुसलर द्वारा स्थापित आयुर्विज्ञान की वाइयोकेमिक पद्धति है तथा "होम्योपैथिक" और "बाइयोकेमिक" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(5) "निरीक्षक" से धारा 30 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है;

(6) "सदस्य" में परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और अध्यक्ष इसके अन्तर्गत है;

(7) "व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो होम्योपैथिक पद्धति का व्यवसाय करता है;

(8) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित प्रभिप्रेत है;

(9) "अर्हता परीक्षा" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अधिकार प्रदत्त करने वाली उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ली गई परीक्षा अभिप्रेत है;

(10) "रजिस्टर" में धारा 15 के अधीन रखा गया व्यवसायियों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(11) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से वह व्यवसायी अभिप्रेत है जिसका नाम तत्समय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है;

(12) "रजिस्ट्रार" से धारा 15 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(13) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है; और

(14) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

भाग–2

## परिषद् की स्थापना, गठन और निगमन तथा व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

3. **परिषद् की स्थापना, गठन और निगमन.**–(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, यथाशक्यशीघ्र, अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान पद्धति परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित करेगी।

(2) परिषद् उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इसे सम्पत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से बाद ला सकेगी और उसके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा ।

(3) परिषद्, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले आठ सदस्यों से मिल कर बनेगी, जिनमें से,–

(क) तीन सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे, जिनमें से एक, यदि सम्भव हो, ऐसा व्यक्ति होगा जो अनुसूची–1 में यथा निर्दिष्ट संस्थाओं से सम्बन्धित हो;

(ख) पांच सदस्य रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम तीन व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास अनुसूची–1 में यथा निर्दिष्ट संस्थाओं से होम्योपैथिक पद्धति में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र हो।

(4) सरकार द्वारा सदस्यों में से परिषद् का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(5) गठित की जाने वाली प्रथम परिषद् की दशा में, परिषद् का अध्यक्ष और उप–धारा (3) के खण्ड (ख) में वर्णित पांच सदस्य, सरकार द्वारा व्यवसायियों में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे और ऐसे सदस्य उप–धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए समझे जाएंगेः

परन्तु ऐसे सदस्यों में से कम से कम चार सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास अनुसूची–**I** में यथा निर्दिष्ट संस्थाओं से होम्योपैथिक पद्धति में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र हो।

(6) सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन या नामनिर्देशन और सदस्य के पद की प्रत्येक रिक्ति सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

4. **सदस्यों का निर्वाचन**.–धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन सदस्यों का निर्वाचन ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

5. **निर्वाचन के व्यतिक्रम में सदस्यों का नाम निर्देशन**.–यदि सदस्य में से किसी को धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित नहीं किया जाता है तो सरकार, उस उप–धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी, जैसा यह ठीक समझे और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यवसायी इस भाग के प्रयोजन के लिए उस खण्ड के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

6. **पदावधि**.–(1) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी जो धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन सदस्यों को निर्वाचित किए जाने के पश्चात्, परिषद् की प्रथम बैठक की तारीख से प्रारम्भ होगीः

परन्तु प्रथम परिषद् में नामनिर्दिट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से तीन वर्ष होगी, जिसको ऐसे परिषद् की प्रथम बैठक होगी।

(2) पदावरोही सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक, यथास्थिति, उसके उत्तरवर्ती का निर्वाचन या नामनिर्देशन नहीं हो जाता है।

(3) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

7. **रिक्तियां**.–(1) यदि सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु, त्याग–पत्र, हटाए जाने अथवा निर्योग्यता के कारण या अन्यथा रिक्ति हो जाती है, तो यह उसी रीति में भरी जाएगी जो धारा 3 में उपबन्धित है।

(2) रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित कोई व्यक्ति, धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी, केवल उतने समय के लिए ही पद धारण करेगा जितने के लिए वह व्यक्ति पद धारण करता, यदि रिक्ति न हुई होती, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया जाए।

8. **त्याग–पत्र.**–कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा और त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको परिषद् द्वारा स्वीकार किया जाता हैः

परन्तु अध्यक्ष सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और उसका त्याग–पत्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई तारीख से प्रभावी होगा।

9. **सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.**–यदि कोई सदस्य उस अवधि के दौरान, जिसके लिए उसे नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है–

(क) ऐसे कारणों के बिना जो परिषद् की राय में पर्याप्त नहीं हैं, परिषद् की तीन क्रमिक साधारण बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(ख) धारा 10 में वर्णित किसी निर्योग्यता के अधीन हो जाता है; या

(ग) विधिक व्यवसायी होने के नाते, परिषद् के विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक वाद या कार्यवाही में उपसंजात होता है; या

(घ) परिषद् के अधीन नियोजन अभिप्राप्त करता है या सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना स्वयं द्वारा या किसी भागीदार द्वारा, परिषद् के साथ या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई शेयर या हित अर्जित करता है;

तो परिषद् उसके पद को रिक्त घोषित कर सकेगीः

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामले में, परिषद् पद को रिक्त घोषित करेगी ।

10. **निरर्हताएं.**–कोई व्यक्ति–

(क) जो अव्यस्क है या अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(ख) जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत–चित न्यायनिर्णीत किया गया है, या

(ग) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है, या

(घ) जिसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जो परिषद् की राय में, नैतिक अधमता से अन्तर्वलित है या जिससे आचरण की ऐसी त्रुटि उपदर्शित होती है जिससे रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि या नाम का जारी रहना अवांछनीय हो गया है और दण्डादेश को तत्पश्चात् अपील या पुनरीक्षण में उलटा नहीं गया है या ऐसे आदेश द्वारा, जिसे सरकार उस निमित्त करने के लिए सशक्त है, माफ नहीं किया गया है, या

(ङ) जिसे परिषद् द्वारा जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे व्यक्ति को या तो स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया गया है, परिषद् की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, किसी व्यावसायिक सम्बन्ध में किसी गर्हित आचारण का दोषी पाया गया हैः

परन्तु यह तब जब ऐसी बैठक में कम से कम परिषद् के कुल सदस्यों के आधे से अधिक वस्तुतः उपस्थित हों, या

(च) जो सरकार या किसी स्थानीय निकाय का पदच्युत सेवक है, सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा।

11. **रिक्तियों आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना**.—परिषद् द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

12. **परिषद् की बैठकों का समय और स्थान**.—परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसी रीति में बुलाई जाएगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएः

परन्तु जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते, अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित पत्र द्वारा, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा वह समीचीन समझे, परिषद् की बैठक बुलाना विधिमान्य होगा।

13. **परिषद् की बैठक में प्रक्रिया**.—(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्यों द्वारा निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) परिषद् की बैठक में, सभी प्रश्नों पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष, तत्समय परिषद् के सदस्य रूप में अपने मत के अतिरिक्त, दूसरे या निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा।

(3) परिषद् की बैठक में गणपूर्ति तीन सदस्यों से मिल कर बनेगीः

परन्तु यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है तो, उसी कामकाज के संव्यवहार के लिए बुलाई गई आगामी बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) उपाध्यक्ष का निर्वाचन, परिषद् की प्रथम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

14. **रजिस्ट्रार.**—(1) परिषद्, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो ऐसा वेतन, भत्ते प्राप्त करेगा और वह ऐसी सेवा की शर्तों के अधीन होगा जो विहित की जाएं:

परन्तु जब तक रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं किया जाता है, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ में रजिस्ट्रार समझा जाएगा, जो ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा जो सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

(2) अध्यक्ष समय—समय पर रजिस्ट्रार को छूटटी दे सकेगा और परिषद् किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार समझा जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार को नियुक्त, दण्डित या पद से हटाने वाला परिषद् का कोई आदेश, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(5) परिषद् ऐसे अन्य अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो:

परन्तु ऐसे अधिकारियों और सेवकों की संख्या और पदनाम और उनके वेतन और भत्ते सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और कोई अन्य अधिकारी या सेवक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, परिषद् का सचिव होगा और परिषद् के कार्यपालक अधिकारी रूप में कार्य करेगा।

15. **रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य.**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए और परिषद् के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, रजिस्टर रखना रजिस्ट्रार का कर्त्तव्य होगा।

(2) रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा, जैसा विहित किया जाए और इसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम, पता और अर्हताएं, ऐसी अर्हताएं अर्जित करने को तारीख सहित, अन्तर्विष्ट होंगी। रजिस्टर निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाएगा:—

भाग–क–इसमें धारा 16 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगे; और

भाग–ख–इसमें धारा 16 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट व्यवसायियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगे।

(3) रजिस्ट्रार, रजिस्टर को यथासम्भव सही रखेगा और समय–समय पर उस में व्यवसायियों के पते या अर्हताओं में किसी तात्विक परिवर्तन की प्रविष्टि कर सकेगा। उन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम जिनकी मृत्यु हो जाए या जिनके नाम धारा 16 की उप–धारा (3) के अधीन रजिस्टर में से हटाए जाने के लिए निर्दिष्ट किए जाएं, रजिस्टर से हटाए जाएंगे।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए होम्योपैथी में किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र अथवा अन्य अर्हताओं या अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र, जिसे वह अभिप्राप्त करें, रजिस्टर में प्रविष्टि करवाने का हकदार होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रार, रजिस्टर में दर्ज पते पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, यह जांच करने के लिए कि क्या उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया है या अपना निवास बदल लिया है, पत्र लिख सकेगा और यदि ऐसे पत्र का छः मास के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो, रजिस्ट्रार, ऐसे व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटा सकेगाः

परन्तु ऐसे व्यवसायी के आवेदन पर, यदि परिषद् का समाधान हो जाता है कि उसने व्यवसाय करना नहीं छोड़ा है, तो परिषद् निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जाए।

16. **रजिस्ट्रीकरण.**–(1) अनुसूची–। में विनिर्दिष्ट किसी अर्हता को रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्टर के भाग–क में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी परिषद् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अपना नाम प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छः माम की अवधि के अन्दर रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में साबित कर देता है कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पच्चीस वर्ष से कम आयु का नहीं था और कम से कम पांच वर्ष से व्यवसायी के रूप में निरन्तर व्यवसाय करता रहा है, विहित फीस के संदाय पर, रजिस्टर के भाग–ख में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिषद् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करवाने का हकदार होगा।

(3) कोई व्यक्ति,–

(क) जो पंजाब मैडीकल रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1916 (1916 का 2) या हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 (1968 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझा गया है तब तक उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उन अधिनियमों के अधीन रजिस्टीकृत नहीं रहता है; या

(ख) जो उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझा गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी बना रहेगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् वह स्वयं को पंजाब मैडीकल रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1916 (1916 का 21) या आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 (1968 का 21) के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत करवा लेता है।

(4) जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन किया जाता है जिसका मामला उप–धारा (1) या उप–धारा (2) द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आता है, वहां रजिस्ट्रार उसके आवेदन को ऐसे विनिश्चय के लिए जैसा परिषद् ठीक समझे, परिषद् को निर्दिष्ट करेगा।

(5) परिषद्, यह निदेश कर सकेगी कि किसी व्यवसायी का नाम, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में यथा परिभाषित किसी संज्ञेय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जो नैतिक चरित्र की ऐसी त्रुटि प्रकट करती है, जो, परिषद् की राय में, उसे अपना व्यवसाय करने को अयोग्य बनाने के पर्याप्त है या जिसे सम्यक् जांच के पश्चात्, ऐसे आचरण का दोषी पाया गया है, जो परिषद् की राय में, किसी व्यवसायिक सम्मान में गर्हित है, रजिस्टर से हटा दिया जाएगा ।

(6) परिषद्, पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि इस प्रकार हटाए गए व्यवसायी का नाम, ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित को जाए, पुनः प्रविष्ट किया जाएगा ।

17. **रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरूद्ध परिषद् को अपील और परिषद् की अन्य शक्तियां**.–(1) किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के बारे, रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, परिषद् को अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील विहित रीति में की जाएगी और परिषद् द्वारा इसकी सुनवाई और विनिश्चय किया जाएगा।

(3) परिषद्, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् रूप से और उचित जांच के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगी, यदि परिषद् की राय में ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलत तौर पर की गई थी।

18. **अर्हित व्यवसायी का प्रमाण–पत्र.**–तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भीः–

(क) "वैध रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" या सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी पद अथवा किसी व्यक्ति को चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा व्यवसाय के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त द्योतित करने वाले किसी शब्द के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी अधिनियमों या विधि का बल रखने वाले अन्य उपबन्धों में और भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची को सूची–2 या 3 से सम्बन्धित विषयों में, रजिस्टर के भाग "क" में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी होगा;

(ख) किसी भी अधिनियम द्वारा किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित प्रमाण–पत्र तभी मान्य होगा यदि ऐसा प्रमाण–पत्र रजिस्टर के भाग "क" में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया गया हैः

परन्तु रुग्णता का प्रमाण–पत्र रजिस्टर के भाग "ख" में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जा सकेगा;

(ग) रजिस्टर के भाग "क" में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, सरकार द्वारा समर्थित या सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे और होम्योपैथिक पद्धति के अनुसार रोगियों का उपचार कर रहे किसी होम्योपैथिक औषधालय या अस्पताल में या ऐसी किसी पद्धति से उपचार करने वाली किसी लोक स्थापना, निकाय या संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई नियुक्ति धारण करने का पात्र होगा।

19. **मृत्यु का नोटिन.**–मृत्यु आंकड़ों का प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, तुरन्त रजिस्ट्रार को पत्र द्वारा ऐसी मृत्यु के समय और स्थान की विशिष्टियों सहित, अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रमाण–पत्र भेजेगा और ऐसे प्रमाण–पत्र और प्रेषण के खर्च को, अपने कार्यालय व्यय के रूप में प्रभारित कर सकेगा।

20. **संस्थाओं का निरीक्षण.**–(1) परिषद्, संस्थाओं के निरीक्षण और उनकी परीक्षा के लिए ऐसी संख्या में निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे और ऐसे निरीक्षक को ऐसी फीस संदत्त की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(2) ऐसे निरीक्षक, परिषद् द्वारा समय–समय पर दिए गए साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार, परिषद् द्वारा स्थापित या उससे सहबद्ध संस्थानों का निरीक्षण करेंगे और प्रत्येक संस्था जिसका वे निरीक्षण करते हैं में अध्ययन किए जा रहे पाठयक्रम और दिए जा रहे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में और किन्हीं अन्य विषयों की सम्बन्ध में जिनकी परिषद् उनसे रिपोर्ट देने की अपेक्षा करे, परिषद् को रिपोर्ट देगा।

21. **अर्हता परीक्षा.**—(1) परिषद् विनियमों द्वारा,—

(क) अनुसूची—I के पैरा (2) के अधीन यथा अपेक्षित संस्थानों को मान्यता देगी;

(ख) प्रशिक्षण और अर्हता परीक्षाओं का पाठ्यक्रम विहित करेगी जिसके अन्तर्गत अर्हता परीक्षाओं से पूर्व की परीक्षाएं भी हैं;

(ग) यह उपबन्ध करेगी कि अनुदेश यथासंभव विनियमों में विनिर्दिष्ट भाषा में ही दिए जाएंगे और परीक्षा ली जाएगी।

(2) अर्हता परीक्षा, इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा, डिग्री या रजिस्ट्रीकरण का अधिकार प्रदत्त करने वाले प्रमाण—पत्र के प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था द्वारा होम्योपैथिक पद्धत्ति में ली गई यह परीक्षा होगी, जिन्हें परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचनाओं द्वारा अर्हता परीक्षा लेने के लिए यथा प्राधिकृत—विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) होम्योपैथिक पद्धति के व्यवसाय के लिए पर्याप्त प्रवीणता स्तर सुनिश्चित करना परिषद् का कर्त्तव्य होगा। ऐसा स्तर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् को होम्योपैथिक पद्धति में शिक्षण देने वाली किसी संस्था की शासकीय निकाय या प्राधिकरणों और उप—धारा (2) के अधीन प्राधिकृत या प्राधिकृत किए जाने की वांछा करने वाली किसी परीक्षा निकाय से निम्नलिखित की अपेक्षा करने का प्राधिकार होगा—

(क) विनियमों द्वारा विहित किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या ऐसे निकाय या प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके किसी स्कूल या महाविद्यालय में किन्ही अर्हताओं को प्रदान करने के सम्बन्ध में ली गई परीक्षा की ऐसी विशिष्टयां देने जैसी परिषद् अपेक्षा करेगी; और

(ख) इस निमित्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों में से परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को सभी या किन्हीं अर्हता परीक्षाओं में भाग लेने और उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करने।

(4) निरीक्षक किसी परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किन्तु प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के बारे, जिसमें यह भाग लेता है और ऐसी परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अन्य विषय जिस पर परिषद् उससे रिपोर्ट देने की अपेक्षा करे, परिषद् को रिपोर्ट देना उसका कर्त्तव्य होगा।

(5) इस धारा के अधीन निकायों या संस्थानों द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता परीक्षा और इस तक ले जानी वाली प्रत्येक पूर्विक परीक्षा का निरीक्षण, निरीक्षक द्वारा कम से कम दो वर्ष में एक बार किया जाएगा और यदि परिषद् इस प्रकार निदेश दे तो ऐसा निरीक्षण एक से अधिक बार भी किया जाएगा।

(6) परिषद् ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस निकाय को अग्रेषित करेगी जिसने परीक्षा, जिसके बारे में उक्त रिपोर्ट की गई थी, ली थी और ऐसी रिसोर्ट की एक प्रति, उक्त निकाय द्वारा उस पर की गई किसी टीका–टिप्पणी सहित, सरकार को भी अग्रेषित करेगी।

22. **अर्हता परीक्षा लेने को प्राधिकृत संस्था का हटाया जाना.**—यदि परिषद् की रिपोर्ट पर, सरकार को यह प्रतीत होता है कि धारा 21 से अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी संस्था द्वारा विहित अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाएं ऐसी नहीं हैं जिनसे होम्योपैथिक पद्धति के व्यवसाय के लिए प्रवीणता का पर्याप्त स्तर बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके, तो सरकार के लिए, अधिसूचना द्वारा यह निदेश देना, विधिपूर्ण होगा कि उक्त अधिसूचना से उक्त संस्था को हटा दिया जाएगा और वह अर्हता परीक्षा लेने के लिए प्राधिकृत नहीं होगीः

परन्तु, इस धारा के अधीन किसी संस्था को उक्त अधिसूचना से हटाए जाने के लिए कोई निदेश देने से पूर्व परिषद् उस संस्था से ऐसे समय के भीतर, जो यह ठीक समझे, यह उपबन्ध करने के लिए ऐसे पग उठाने की अपेक्षा कर सकेगी कि संस्था द्वारा विहित अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाएं पर्याप्त स्तर की हैं।

23. **मुत्यु समीक्षा पर तामील से छूट.**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसा चाहे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन किसी मृत्यु समीक्षा पर तामील से छूट दी जाएगी।

24. **सदस्यों को संदेय भत्ते.**—बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

25. **परिषद् द्वारा प्राप्त फीस.**—इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा फीस के रूप में प्राप्य समस्त धन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयोजित किया जाएगा।

26. **व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन.**—(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को उससे पूर्व, रजिस्टर में तत्समय सभी व्यवसायियों के नामों और अर्हताओं और उन तारीखों की, जिनको ऐसी अर्हताए अर्जित की गई थी, सही सूची मुद्रित और प्रकाशित करवाएगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है और कोई व्यक्ति जो इस तरह प्रविष्ट नहीं है, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है।

27. **सरकार का नियन्त्रण.**—यदि सरकार को किसी समय यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उपेक्षा की है या अधिक प्रयोग किया है या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के अनुपालन में उपेक्षा की है, तो सरकार, ऐसी उपेक्षा, अधिक प्रयोग या दुरुपयोग की, विशिष्टियां परिषद् को संसूचित करेगी, और यदि परिषद्, ऐसी उपेक्षा, अधिक प्रयोग या दुरुपयोग का ऐसे समय के भीतर जो सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए, उपचार करने में असफल रहती है, तो सरकार ऐसी उपेक्षा, अधिक प्रयोग या दुरुपयोग के उपचार के प्रयोजन के लिए, परिषद् की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का अनुपालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिए करवा सकेगी जो सरकार उचित समझे।

28. **अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय करने का प्रतिषेध.**—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न, कोई भी व्यक्ति होम्योपैथिक पद्धति का व्यवसाय नहीं करेगा या अपने आप को प्रत्यक्षतः या विवक्षित रूप से व्यवसाय करते हुए या व्यवसायी की तैयारी करते हुए, व्यवसाय में बना नहीं रहेगा।

29. **उपाधि आदि का मिथ्याधारण अपराध होना.**—जो कोई स्वेच्छया और मिथ्यारूप से यह विवक्षित करते हुए, अपने नाम के साथ कोई उपाधि या विवरण अथवा अभिवर्णन करता है या उसका उपयोग करता है यह धारा 21 के अधीन की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी संस्था द्वारा प्रदत्त, प्रदान या जारी की गई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र धारण करता है या कि वह होम्योपैथिक पद्धति का व्यवसाय करने के लिए अर्हित है अथवा वह एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है; प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

30. **धारा 28 के उपबन्धों के अतिक्रमण के लिए शास्ति.**—कोई भी व्यक्ति जो धारा 25 के उल्लंघन में कार्य करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

31. **अप्राधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उपाधि, डिप्लोमा आदि प्रदत्त, प्रदान या जारी करना.**—(1) इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत संगम या संस्थाओं से भिन्न कोई व्यक्ति, कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र या अन्य दस्तावेज प्रदत्त, प्रदान या जारी नहीं करेगा या अपने आप को यह प्रदत्त, प्रदान या जारी करने के हकदार के रूप में यह कथन करते अथवा विवक्षित करते हुए कि धारक, प्राप्तकर्ता या पाने वाला होम्योपैथिक पद्धति का व्यवसाय करने के लिए अर्हित है, प्रकट नहीं करेगा।

(2) जो कोई उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि कोई उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक संगम है, तो ऐसे संगम का प्रत्येक सदस्य, जो जानते हुए और जानबूझ कर उल्लंघन प्राधिकृत या अनुज्ञात करता है, दोषसिद्धि पर जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

32. **इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण के लिए सक्षम न्यायालय और अपराधों का संज्ञान.**—(1) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

33. **अनुसूची–I को संशोधित करने को शक्ति.**—राज्य सरकार, अनुसूची–I का, उसमें किसी अर्हता का परिवर्धन करने या उसमें से विलोप करने के लिए, अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकेगी और तत्पचात् अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

भाग–3

## निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

34. **परिभाषाएं.**—इस भाग में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "एजेन्ट" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उसकी लिखित सहमति से निर्वाचन में उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन के प्रयोजन के लिए लिखित रूप में अपना एजेन्ट नियुक्त किया है;

(ख) "उम्मीदवार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे निर्वाचन में सम्यक् रूप से उम्मीदवार नाम निर्दिष्ट किया गया है या किए जाने का दावा करता है, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समय से जब वह भावी निर्वाचन में अपने आप को भावी उम्मीदवार के रूप में प्रकट करता है, उम्मीदवार समझा जाएगा;

(ग) "भ्रष्ट आचरण" से अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट कोई आचरण अभिप्रेत है;

(घ) "लागत" से निर्वाचन अर्जी या उससे आनुषंगिक के विचारण की सारी लागत, प्रभार और व्यय अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्वाचन" से किसी सदस्य के पद को भरने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

(च) "निर्वाचन अधिकार" से किसी व्यक्ति का चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने अथवा हट जाने या मतदान करने अथवा मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है;

(छ) "प्लीडर" से किसी सिविल न्यायालय में उपसंजात होने और किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिवचन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिवक्ता भी है।

35. **निर्वाचन अर्जी.**—इस भाग के उपबन्धों के अनुसार पेश निर्वाचन अर्जी के सिवाय, कोई निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

36. **अर्जियों का पेश किया जाना.**—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, किसी सदस्य का, धारा 3 की उप–धारा (6) के अधीन, निर्वाचन अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर और विहित रीति से विहित प्रतिभूति देने पर, धारा 48 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर, विहित प्राधिकारी को, ऐसे सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध लिखित रूप में निर्वाचन अर्जी पेश कर सकेगा।

(2) निर्वाचन अर्जी, विहित प्राधिकारी की दी गई समझी जाएगी—

(क) जब वह विहित प्राधिकारी को, निम्नलिखित द्वारा दी जाती है—

(i) अर्जी देने वाले व्यक्ति द्वारा, या

(ii) अर्जी देने वाले व्यक्ति द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, या

(ख) जब यह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है और विहित प्राधिकारी को परिदत्त की जाती है।

37. **अर्जी की विषय—वस्तु.**—(1) निर्वाचन अर्जी में—

(क) तात्विक तथ्यों, जिन पर अर्जी निर्भर करती है, का संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा;

(ख) ऐसा भ्रष्ट आचरण करने वाले अभिकथित पक्षकारों के नामों की यथा सम्भव पूर्ण विवरणी सहित, अर्जीदार द्वारा अभिकथित किसी भ्रष्ट आचरण की पूर्ण विशिष्टियां और ऐसे आचरण के होने की तारीख और स्थान उपवर्णित किया जाएगा; और

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अभिवचनों के सत्यापन के लिए अधिकथित रीति में सत्यापित की जाएगीः

परन्तु जहां अर्जीदार किसी भ्रष्ट आचरण का अभिकथन करता है, तो अर्जी के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के समर्थन में विहित प्ररूप में शपथ—पत्र और उसकी विशिष्टियां संलग्न की जाएंगी।

(2) अर्जी की कोई अनुसूची और उपबन्ध भी अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित और उसी रीति में जिसमें कि अर्जी सत्यापित की जाती है, सत्यापित किया जाएगा।

38. **निर्वाचन अर्जी प्राप्त होने पर प्रक्रिया.**—यदि विहित प्रतिभूति विहित रीति में नहीं दी जाती है या अर्जी धारा 36 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिदत्त नहीं की जाती है तो विहित प्राधिकारी अर्जी को खारिज कर देगाः

परन्तु अर्जी, अर्जीदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, खारिज नहीं की जाएगी।

39. **अर्जियां वापस लेने और हस्तान्तरित करने की शक्ति.**—इस निमित्त सरकार द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी, पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी प्रक्रम में विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन अर्जी को वापस ले सकेगा और इसे विचारण के लिए अन्य किसी विहित प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर सकेगा, और ऐसे हस्तान्तरण पर, वह विहित प्राधिकारी, वापस लिए जाने की अवस्था से विचारण की कार्यवाही करेगाः

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे किसी भी साक्षी को, जिसका पहले परीक्षण हो चुका है, पुनः बुला सकेगा और उसका पुनः परीक्षण कर सकेगा।

40. **विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया.**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी द्वारा, प्रत्येक निर्वाचन पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वादों के विचारण के लिए लागू प्रक्रिया के, यथाशक्य निकटतम, अनुसार विचारण किया जाएगाः

परन्तु विहित प्राधिकारी को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी साक्षी या साक्षियों का परीक्षण करने से इन्कार करने का विवेकाधिकार होगा यदि उसकी यह राय हो कि उनका साक्ष्य अर्जी के विनिश्चय के लिए तात्विक नहीं है या साक्षी या साक्षियों को पेश करने वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों में विलम्ब करने के आशय से, ऐसा कर रहा है।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारतीय साक्षी अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबन्ध, हर प्रकार से निर्वाचन अर्जी के विचारण को लागू समझे जाएंगे।।

41. **विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति.**—विहित प्राधिकारी के समक्ष कोई उपस्थिति, आवेदन या कार्य पक्षकार द्वारा स्वयं या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त अभिवक्ता द्वारा किया जा सकेगाः

परन्तु विहित प्राधिकारी, जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने का निदेश दे सकेगा।

42. **विहित प्राधिकारी की शक्तियां.**—विहित अधिकारी को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित वाद पर विचारण करते समय, न्यायालय में निहित होती हैंः—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;
(ख) साक्षियों की उपस्थिति बाध्य करना;
(ग) उनके व्यय के निक्षेपों को अपेक्षा करना;
(घ) शपथ पर साक्षियों का परीक्षण करना;
(ङ) स्थगनों को अनुदत्त करना;
(च) शपथ—पत्र पर लिए गए साक्ष्य को ग्रहण करना;
(छ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और
(ज) दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना;

और वह स्वतः किसी व्यक्ति को जिसका साक्ष्य उसे तात्विक प्रतीत हो बुला सकेगा और परीक्षण कर सकेगा; और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 (1) और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण.**— साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी को अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं होंगी।

43. **दस्तावेजी साक्ष्य.**—किसी अधिनियनिति में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निर्वाचन अर्जी के विचारण में कोई दस्तावेज इस आधार पर अग्राहय नहीं होगा कि यह सम्य्क रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

44. **मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न करना.**—किसी भी साक्षी या अन्य व्यक्ति के लिए यह विवरण देना आवश्यक नहीं होगा कि निर्वाचन में उसने किस को अपना मत दिया है।

45. **अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाण—पत्र.**—

(1) किसी साक्षी को, निर्वाचन अर्जी के विचारण में विवाद विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर, उसे अपराध में फंसा सकेगा या फंसाने वाला हो सकेगा या वह उसे शास्ति या समपहरण की आशंका में डालेगा या आशंका में डालने वाला हो सकेगा—

परन्तु ——

(क) वह साक्षी, जो सब प्रश्नों का सही उत्तर देता है जिनका उत्तर उस द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी से परित्राण का प्रमाण—पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा; और

(ख विहित प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किए गए प्रश्न का, साक्षी द्वारा दिया गया उत्तर, साक्ष्य के विषय में, मिथ्याशपथ के लिए किसी दाण्डिक कार्यवाही के सिवाय, किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में, उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगा।

(2) जब किसी साक्षी को परित्राण का प्रमाण—पत्र अनुदत्त कर दिया गया हो, तो वह उसका किसी न्यायालय में अभिवचन कर सकेगा और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 9—क के अधीन उस विषय से जिससे ऐसा प्रमाण—पत्र सम्बन्धित है उद्भूत किसी आरोप का या उस पर पूर्ण और विस्तृत प्रतिवाद होगा। किन्तु यह इस अधिनियम या अन्य विधि द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में अधिरोपित किसी निरर्हता से, उसे अवमुक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा।

46. **साक्षियों के खर्चे.**—किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य देने के लिए उपगत युक्तियुक्त खर्चे विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को मंजूर किए जा सकेंगे और विहित प्राधिकारी जब तक अन्यथा निर्देश न दे, लागत का भाग समझे जाएंगे।

47. **विहित प्राधिकारी का विनिश्चय.**—(1) जब निर्वाचन अर्जी, धारा 38 के अधीन खारिज नहीं की गई हो, तब विहित प्राधिकारी निर्वाचन अर्जी की जांच करेगा और जांच की समाप्ति पर—

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करने; या

(ख) निर्वाचन को अपास्त करने का आदेश देगा।

(2) उप—धारा (1) के अधीन आदेश देते समय, विहित प्राधिकारी—

(क) जहां अर्जी में निर्वाचन में किए गए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया हो,—

(i) यह निष्कर्ष, कि क्या निर्वाचन में किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना या न किया जाना साबित हुआ है और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति; और

(ii) सभी व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हो, जो विचारण में किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी साबित हुए हैं और उस आचरण की प्रकृति; अभिलिखित करते हुए भी आदेश देगा; और

(ख) संदेय लागत की कुल राशि नियत करना और उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करना जिनके द्वारा और जिनको लागत संदत्त की जाएगीः

परन्तु जो व्यक्ति अर्जी का पक्षकार नहीं है, उसे तब तक नामित नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(i) उसे विहित प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने और कारण बताने के लिए कि उसे इस प्रकार नामित क्यों न किया जाए, नोटिस न दे दिया गया हो; और

(ii) उसे, यदि वह नोटिस के अनुसरण में, हाजिर होता है, किसी साक्षी को जिसका विहित प्राधिकारी द्वारा पहले परीक्षण किया जा चुका है और जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है, प्रति परीक्षा करने, अपने प्रतिवाद में साक्ष्य मंगाने और सुनवाई का अवसर नहीं दे, दिया गया हो।

48. **निर्वाचन को अपास्त करने के आधार.**—(1) यदि विहित प्राधिकारी की यह राय हो —

(क) कि निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचन की तारीख को, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित नहीं था या निरर्हित किया गया था; या

(ख) कि निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेन्ट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निर्वाचित व्यक्ति, या उसके एजेन्ट की, सहमति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या

(ग) कि कोई नामनिर्देशन अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया है; या

(घ) कि निर्वाचन परिणाम, जहां तक वह निर्वाचित व्यक्ति से सम्बन्धित है, निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है—

(i) किसी नाम निर्देशन की अनुचित स्वीकृति द्वारा; या

(ii) किसी मत के अनुचित ग्रहण, इन्कारी या अस्वीकृति अथवा किसी अमान्य मत के ग्रहण द्वारा; या

(iii) इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी अनुपालन द्वारा,

तो वह निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अपास्त कर देगा।

(2) जब उप–धारा (1) के अधीन निर्वाचन अपास्त किया गया हो, तो पुनः निर्वाचन किया जाएगा।

49. **निर्वाचन अर्जी का उपशमन.**—निर्वाचन अर्जी का उपशमन, केवल अर्जीदार या विभिन्न अर्जीदारों के उत्तरजीवी की मृत्यु पर ही होगा।

50. **लागत और उसका प्रतिभूति–निक्षेपों में से संदाय और ऐसे निक्षेपों को वापस करना.**—(1) अभिवक्ता की फीस सहित लागत, विहित प्राधिकारी के स्वविवेक पर होगी।

(2) यदि इस भाग के उपबन्धों के अधीन लागत के बारे किसी आदेश में किसी पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति को लागत के संदाय के लिए निदेश हो, तो ऐसी लागतें, यदि वे पहले संदत्त न की गई हों, पूर्ण रूप में या यथासम्भव, इस भाग के अधीन ऐसे, पक्षकार द्वारा किए गए प्रतिभूति निक्षेप में से, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में लागत अधिनिर्णीत की गई है ऐसे प्राधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाए लिखित आवेदन पर, संदत्त की जाएगी।

(3) यदि उप–धारा (2) के अधीन, उस उप–धारा में निर्दिष्ट लागत के संदाय के पश्चात्, इस भाग के अधीन प्रतिभूति निक्षेप का कोई अतिशेष हो, तो ऐसा अतिशेष या जहां कोई लागत अधिनिर्णीत नहीं की गई है या यथा उपर्युक्त आवेदन एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो सारा प्रतिभूति निक्षेप, उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिभूति निक्षिप्त की है या यदि ऐसे निक्षेप के पश्चात् उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उस निमित्त उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को लिखित आवेदन पर, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति को या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को वापस किया जा सकेगा।

51. **लागत सम्बन्धी आदेशों का निष्पादन.**—इस भाग के उपबन्धों के अधीन लागत सम्बन्धी कोई अदेश, मुख्य सिविल न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे आदेश द्वारा किसी धनराशि को संदत्त करने के लिए निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का आवास या कारबार का स्थान है, के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसा न्यायालय आदेश का निष्पादन उसी रीति और उसी प्रक्रिया द्वारा करेगा या करवाएगा, मानो कि यह उसके द्वारा किसी वाद में धन के संदाय के लिए की गई डिक्री होः

पुरन्तु, जहां ऐसी कोई लागत या उनका कोई भाग धारा 50 की उप—धारा (2) के अधीन आवेदन द्वारा वसूल किया जा सकेगा वहां, इस धारा के अधीन ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर कोई आवेदन नहीं दिया जा सकेगा, जब तक कि यह किसी लागत के अतिशेष के लिए न हो जो उस उप—धारा के अधीन किए गए आवेदन के पश्चात् उस उप—धारा में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप की अपर्याप्त राशि के कारण वसूल करने के लिए रह गया हो।

52. **भ्रष्ट आचरण जिससे निरर्हता हो जाती है.**—अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण, उस तारीख से जिससे विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे आचरण के बारे में निष्कर्ष दिया गया है गणना करके पांच वर्ष की अवधि के लिए परिषद् की सदस्यता के लिए निरर्हता हो जाएगीः—

परन्तु सरकार, कारणों को अभिलिखित करके, निरर्हता हटा सकेगी या उसकी अवधि कम कर सकेगी।

भाग—4

## प्रकीर्ण

53. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्—

(क) वह समय और स्थान तथा रीति जिसमें धारा 4 के अधीन निर्वाचन किया जाएगा;

(ख) धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रार का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(ग) धारा 15 के अधीन रजिस्टर का प्ररुप और उसमें दर्ज की जानी वाली विशिष्टियां;

(घ) रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, हटाए गए नाम की पुनः प्रविष्टियां और रजिस्टर में प्रविष्टियों के परिवर्तन के लिए प्रभार्य फीसें;

(ङ.) वह रीति, जिसमें रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध धारा 17 के अधीन अपीलों की परिषद द्वारा सुनवाई की जाएगी;

(च) धारा 24 के अधीन सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते;

(छ) धारा 25 के अधीन फीसों का उपयोजन;

(ज) परिषद् के किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करना;

(झ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का प्ररूप, उस में उस भाग का उल्लेख करते हुए जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी रजिस्ट्रीकृत है;

(ञ) धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम और रीति जिसमें वह दी जाएगी;

(ट) भाग 3 के अधीन वह प्राधिकारी जिसे निर्वाचन अर्जियां पेश की जा सकेंगी और जिस द्वारा ऐसी अर्जियों की जांच और विनिश्चय किया जाएगा;

(ठ) धारा 37 की उप–धारा (1) के अधीन अर्जी से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित शपथ–पत्र का प्ररुप; और

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जा सकेगा।

54. **विनियम.**–(1) परिषद्, सरकार की पूर्व मन्जूरी से, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों से अनसंगत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए विनियम बना सकेगी, अर्थात्:–

(क) वह समय और स्थान जहां परिषद् धारा 12 के अधीन अपनी बैठकें करेगी;

(ख) रजिस्ट्रार से भिन्न, धारा 14 के अधीन परिषद् के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(ग) धारा 16 की उप–धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें,

(घ) प्रशिक्षण और अर्हता तथा अन्य परीक्षाओं के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ङ.) धारा 21 के अधीन प्राधिकृत निकायों या संस्थानों में विद्याथियों का प्रवेश;

(च) वह भाषा जिसमें परीक्षाएं संचालित की जाएंगी और शिक्षा दी जाएगी;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन विद्याथियों को उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम और अर्हता तथा पूर्व परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और परीक्षाओं का संचालन; और

(झ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(2) सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विनियम को रद्द कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन सरकार की मन्जूरी के लिए खण्ड (घ) और (ज) के अधीन विनियम प्रस्तुत करते समय, परिषद्, ऐसे विनियमों को पारित करने सम्बन्धी अपनी कार्यवाहियों की एक प्रति भेजेगी और अपने सदस्यों की संख्या भी कथित करेगी जिन्होंने ऐसे विनियमों के पक्ष या विरोध में मत दिया है अथवा ऐसे विनियमों के बारे में मतदान नहीं किया हैः

परन्तु यह और कि विनियमों को मन्जूर करते समय, उक्त कार्यवाहियों में यथा अभिव्यक्त सदस्यों की राय को सम्यक् रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

55. **नियमों और विनियमों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना.**—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करती है या यह विनिश्चय करती है कि वह नियम वा विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्यभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

56. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दी पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1965 (1965 का 16) एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैः

परतु ऐसी किसी अधिनियमिति का निरसन—

(क) ऐसी अधिनिमिति के पूर्व प्रवर्तन पर या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी भी बात पर, या

(ख) ऐसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) ऐसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर, या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, सम्पहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर, प्रभाव नहीं डालेगा; और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति, सम्पहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

(2) उप–धारा (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, उप–धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियमिति के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या निदेश और विरचित नियम या विनियम इसके अन्तर्गत है) जहां तक वह इस अधिनियम से असंगत है इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दी जाती।

(3) उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के उपबन्धों के सामान्य रूप से लागू रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दि पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1965 (1965 का 16) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद् की प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व की आस्तियां और दावित्य जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) के अधीन किसी करार या अन्यथा के आधार पर, संघ को न्यायगत हो सकेंगे, यदि सरकार ऐसा निदेश दे, तो आस्तियां और दायित्व परिषद् के हो जाएंगे।

57. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या निदेश दे सकेगी, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

## अनुसूची–1

धाराएं 3 (3) और (5), 16 (1), 21 (1) (क) और 33 देखें

व्यक्ति जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति व्यवसायी के रजिस्टर के भाग "क" में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए हकदार हैः–

(1) होम्योपैथ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् द्वारा ली गई अन्तिम परीक्षा पास की है।

(2) होम्योपैथ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक संस्था से परीक्षा पास की है या हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थित संस्थाओं से डिप्लोमा, उपाधि प्राप्त की है; किन्तु ऐसा डिप्लोमा और उपाधि परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है।

(3) होम्योपैथ, जिन्हें राज्य परिषद् या भारतीय संघ में विधि द्वारा कहीं भी स्थापित होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा, उनके द्वारा ऐसी राज्य परिषद् या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर, रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

## अनुसूची–2

धाराएं 34 (ग) और 52 देखें

धारा 52 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण माना जाएगाः–

(1) रिश्वत, अर्थात्–

(अ) अभ्यर्थी, अथवा उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निम्न के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से, किसी परिपोषण की भेंट, प्रस्ताव अथवा वचन देना–

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने या खड़ा न होने या नाम वापस लेने; या

(ख) निर्वाचन में मतदाता को वोट देने या मतदान से विरत रहने अथवा निम्न के लिए इनाम के रूप में–

(i) इस प्रकार खड़े होने के लिए या खड़े न होने के लिए अथवा अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए किसी व्यक्ति को; या

(ii) मतदाता को मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए;

(आ) किसी परितोषण की प्राप्ति या प्राप्त करने के लिए करार, चाहे हेतु के रूप में या इनाम के रूप में–

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में, खड़े होने या खड़े न होने अथवा नाम वापस लेने के लिए; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो कोई भी अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने या किसी मतदाता को मतदान करने या मतदान के विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,–

(1) "परितोषण" पद, आर्थिक परितोषणों अथवा धन में आक्लनीय परितोषणों तक सीमित नहीं है और इसके अन्तर्गत मनोरंजन के सब प्रकार और इनाम के लिए नियोजन के सब प्रकार है किन्तु इसके अन्तर्गत, निर्वाचन पर अथवा उसके प्रयोजन के लिए उपगत सद्भावी किन्हीं खर्चों का संदाय नहीं है।

(2) "अनुचित प्रभाव" अर्थात्, अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की ओर से या अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता की सहमति से, किसी अन्य व्यक्ति का, किसी निर्वाचन अधिकार के स्वच्छन्द प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष अथवा हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयत्नः

परन्तु –

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति जो–

(i) किसी अभ्यर्थी या मतदाता अथवा किसी व्यक्ति की जिसमें अभ्यर्थी अथवा मतदाता रुचि रखता है किसी प्रकार की क्षति जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बहिष्करण या निष्कासन भी है, की धमकी देना है;

(ii) अभ्यर्थी या मतदाता को विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है ईश्वरीय अप्रसन्नता अथवा दिव्य क्रोध का पात्र हो जाएगा;

इस खण्ड के अर्थान्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के स्वच्छन्द प्रयोग में हस्तक्षेप करते हुए माने जाएंगे;

(ख) लोक नीति की घोषणा, या प्रशासन का वायदा, या निर्वाचन अधिकार का प्रयोग, निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप के आशय के बिना, इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से उसके धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने अथवा मतदान से विरत रहने के लिए आग्रह करना अथवा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीक का प्रयोग करने या उसके लिए आग्रह या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करना या आग्रह करना।

(4) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के चुनाव की संभाव्यता बढ़ाने के लिए अथवा किसी प्रभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, वंश जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना।

(5) अभ्यर्थी या उसके प्रभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तथ्य के किसी कथन, जो मिथ्या है और जिसे किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक चरित्र या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या नाम वापस लेने के सम्बन्ध में उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित किया गया कथन होने पर, या तो मिथ्या होने का विश्वास करता है या विश्वास करता है कि वह सत्य नहीं है, का प्रकाशन।

(6) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे संदाय पर या अन्यथा, किसी मतदाता (स्वयं, उसके कुटुम्ब के सदस्य या अभिकर्ता से भिन्न) को किसी उपबन्धित मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या वहां से ले जाने के लिए किसी यान को भाड़े पर लेना या उपाप्त करनाः

परन्तु किसी मतदाता द्वारा या कई मतदाताओं द्वारा अपने संयुक्त खर्चों पर उसे या उन्हें ऐसे किसी मतदान केन्द्रों या मतदान के लिए नियत स्थान को या वहां से ले जाने के प्रयोजन के लिए किसी यान को भाड़े पर लेना इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा, यदि इस प्रकार भाड़े पर लिया गया यान यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित यान नहीं हैः

परन्तु यह और कि किसी मतदाता द्वारा अपने खर्चे पर ऐसे किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक परिवहन यान का प्रयोग इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण**— इस खण्ड में शब्द "यान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा यान, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, चाहे वह यान्त्रिक शक्ति से चालित है या अन्यथा और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है या अन्यथा।

(7) उक्त अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से जो सरकार, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में है, (मत देने से भिन्न) कोई सहायता अभिप्राप्त करना या उपाप्त करना अथवा अभिप्राप्त या उपाप्त करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना।